संख्या 408/XXVII(7)/07(3)/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 08 फरवरी, 2013

विषय:–प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढांचे का पुर्नगठन करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:– 108/xxvii(7)/2006 दिनांक 3 जुलाई, 2006 द्वारा प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के पदों को 04 ग्रेडों में रखा गया है।

उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 राज्य की भांति पद एवं वेतनमान की तुलनीयता के आधार पर प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के पदों को 04 ग्रेडों के स्थान पर 05 ग्रेडों में निम्नानुसार रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0	संस्तुत वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0	पदों का प्रतिशत	भर्ती की प्रकिया/अर्हता
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1–	वाहन चालक ग्रेड–4	3050–4590 वेतन बैण्ड–1 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	3050–4590 वेतन बैण्ड–1 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	30	वाहन चालक ग्रेड–4 के पद पर सीधी भर्ती नियमानुसार वर्तमान में निर्धारित अर्हताओं के आधार पर की जायेगी।
2–	वाहन चालक ग्रेड–3	4000–6000 वेतन बैण्ड–1 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	4000–6000 वेतन बैण्ड–1 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	30	वाहन चालक ग्रेड–3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–4 से की जायेगी जिन्होंने 09 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
3–	वाहन चालक ग्रेड–2	4500–7000 वेतन बैण्ड–1 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	4500–7000 वेतन बैण्ड–1 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	25	वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–3 के पदधारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड–3 के पद पर 06 वर्ष की सतोषजनक सेवा अथवा वाहन

					चालक ग्रेड–4 की सेवाओं को जोडते हुए कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
4–	वाहन चालक ग्रेड–1	5000–6000 वेतन बैण्ड–2 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	5000–6000 वेतन बैण्ड–2 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	10	वाहन चालक ग्रेड–1 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–2 पदधारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड–2 के पद पर 03 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।
5–	वाहन चालक विशेष श्रेणी	–	6500–10500 वेतन बैण्ड–2 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600	05	वाहन चालक विशेष श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–1 के पदधारकों से की जाएगी जिन्होंने ग्रेड–1 के पद पर कम से कम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(2) जिन विभागों में वाहन चालकों के पदों की संख्या 10 से कम है, वहां पर इस संवर्ग के पदों का विभाजन निम्न विवरण के अनुसार किया जायेगा:–

क0सं0	वाहन चालकों की सं0	पुर्नगठन के फलस्वरूप पदों की संख्या				
		वाहन चालक ग्रेड–4 रू0 3050–4590 सादृश्य वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	वाहन चालक ग्रेड–3 रू0 4000–6000 सादृश्य वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	वाहन चालक ग्रेड–2 रू0 4500–7000 सादृश्य वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	वाहन चालक ग्रेड–1 रू0 5000–8000 सादृश्य वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200	वाहन चालक विशिष्ट श्रेणी रू0 6500–10500 सादृश्य वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1–	1	1	–	–	–	–
2–	2	1	1	–	–	–
3–	3	1	1	1	–	–
4–	4	1	1	1	1	–
5–	5	1	1	1	1	1
6–	6	2	1	1	1	1
7–	7	2	2	1	1	1
8–	8	2	2	2	1	1
9–	9	3	2	2	1	1

(3) उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक संशोधन वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जायेंगे।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव, वित्त।